न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 398/2017 (धारा 76 भू राज अधिनियम 1956) (RCMS No.398/17)

1. समीर खां उर्फ सम्मी खां पुत्र छज्जू
2. हसीना पत्नी सम्मी खां

जाति मेव निवासी ग्राम नौगाया तहसील कामां जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. मुवीना पुत्री मोरमल पत्नी मौहम्मद जाति मेव निवासी ग्राम नावली तहसील फिरोजपुर झिरका जिला नूंह (हरियाणा)
2. परमीना पुत्री मोरमल पत्नी सद्दीक जाति मेव निवासी ग्राम गुलपाडा तहसील नगर जिला भरतपुर।
3. तहसीलदार कामां।
4. सहनवी विधवा मोरमल जाति मेव निवासी ग्राम नौगावां तहसील कामां जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अति0 जिला कलक्टर डीग दिनांक 155.2017 व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 1079 दिनांक 14.5.1986 वाकै ग्राम नौगावां तहसील कामां जिला भरतपुर।

उपस्थितिः–

1. श्री हनुमान प्रसाद गोयल वकील अपीलान्ट।
2. श्री पंकज कुमार वकील रैस्पोडेन्ट।
3. राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः– 25.07.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अति0 जिला कलक्टर डीग के निर्णय दिनांक 15.5.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रैस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के खिलाफ एक अपील तहत अदालत के समक्ष इस आशय की पेश की गई थी कि रैस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता व रैस्पो0 संख्या 4 के पति मोरमल की मृत्यु सन 1985 में होने के बाद पटवारी हल्का नौगावां द्वारा मृतक मोरमल के भाई अमीर खां की विरासत का नामा0 आराजी खसरा नम्बर 1206 दो बीघा 1595/1.04, 1598/1.06, 1614/2.06, 1615/2.07 किता–5 रकबा 9.03 व ख0नं0 1697/0.10 वाकै ग्राम नौगांवा तहसील कामां की बाबत मृतक मोरमल के भाई अपीलान्ट संख्या 1 समीर खां के नाम भरकर सरपंच ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 12.5.1986 को प्रस्तुत किया लेकिन उस दिन नामा0 की बाबत निर्णय नहीं हो सका, तथा नामा0 की बाबत सुनवाई आगामी बैठक के लिये नियत की गई लेकिन अपीलान्ट संख्या 1 ने पटवारी हल्का से मिलकर उक्त नामा0 तहसीलदार कामां के

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

समक्ष प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार कामां ने बिना रैस्पोडेन्ट को को सुने नामान्तरकरण संख्या 1079 वाकै ग्राम नौगांवा तहसील कामां दिनांक 14.5.1986 को तस्दीक कर दिया। अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग की ओर से पारित आदेश दिनांक 15.05.2017 जिसके द्वारा रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 1079 दिनांक 14.05.1986 को खारिज किया गया है, के विरूद्ध अपील अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.05.2017 विधिविरूद्ध तथा तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग ने दाखिल खारिज संख्या 1079 दिनांक 14.5.1986 वाकै ग्राम नौगावां तहसील कामां को गलत निरस्त किया है क्योंकि तहत अदालत ने अपील को मियाद अन्दर मानकर गलत मैरिट पर फैसला किया है। सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर ही निर्णय करना चाहिऐ था। तहत अदालत ने अपीलान्ट को मोरमल की पुत्री के रूप में गलत रूप से दाखिल खारिज संख्या 1079 में एग्रीब्ड मानकर अपील को मैरिट पर गलत सुनवाई की है। जबकि रैस्पो0 मुवीना, परमीना को नामांतकरण संख्या 1079 के विरूद्ध अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं था। तहत अदालत ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया कि छज्जू के तीन पुत्र थे जिनके नाम मोरमल, अपीलान्ट संख्या 1 व अमीर खां थे। अमीर खां का करीब दो–तीन साल की उम्र में ही देहान्त हो गया था, उसके वारिस मोरमल व अपीलान्ट नम्बर 1 हुये थे। मोरमल के जिन्दा रहते हुए उसकी पुत्रीयों रैस्पो0 को कोई भी अधिकार विरासत के नहीं हुये थे तथा मोरमल की पत्नी सहनवी अपीलान्ट नं0 1 के यहां दूसरी पत्नी के रूप में खनिन्दाज हो गई थी और उसके आसूव, हकमुद्दीन पुत्र हुये हैं तथा अपीलान्ट की पहली पत्नी हसीना से तीन लडके व 5 पुत्रीयां हुई हैं। लायक तहत अदालत ने रैस्पो0 1 व 2 का अमीर खां की आराजी में गलत हिस्सा माना है, जबकि मुस्लिम एक्ट में भी इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि दोनों पक्षकारान यानि अपीलान्ट व रैस्पोडेन्टस जाति से मेव हैं और मेवों पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। वरन् मुस्लिम एक्ट लागू होता है। मुस्लिम भी दो तरह के होते हैं एक शिया दूसरा सुन्नी जिसमें विरासत के अलग से प्रावधान हैं। हिन्दू उत्तराधिकार के अन्तर्गत जो लड़कियों एवं भाई से भाई को उत्तराधिकारी माने जाने बाबत प्रावधान है। उसमें शिडयूल एक के अनुसार जो उत्तराधिकारी होते हैं वही उत्तराधिकारी आते हैं, जो कि प्रावधान में दिए हुए हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के शिडयूल दो में भाई से भाई का जो अधिकार उत्तराधिकार बाबत मिलते हैं, वह अन्य उत्तराधिकारियों को नहीं मिलते हैं। इस संबंध में वकील अपीलान्ट द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की अनुसूची 1 व 2 में वर्णित प्रावधानों का उल्लेख किया। अपीलान्ट व रैस्पो0 दोनों मुस्लिम है, इस कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के कोई प्रावधान लागू नहीं होते है। लायक तहत अदालत ने अपीलान्ट के अपनी

न्यायालय संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर ★

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

खातेदारी की आराजी को डिकी दिनांक 16.4.93 से नाम करा दिए जाने व इसके आधार पर नामा0 संख्या 1390 द्वारा विवादित भूमि अपीलान्ट संख्या 2 के नाम दर्ज हो गई थी, परन्तु इस बिन्दु पर लायक अदालत तहत ने गौर नहीं कर क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत हाजा में अपील मियाद बाहर पेश की गई थी। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामांतकरण के गुणावगुण पर विचार किए जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक था, परन्तु अदालत मातहत ने मियाद संबंधी बिन्दु पर निर्णय नहीं कर अपीलान्ट के पक्ष में भरे गए नामांतकरण को निरस्त करने का आदेश दिया है जो कि विधिविरूद्ध है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि रैस्पो0 संख्या 4 के हक में आराजी खसरा नम्बर 1323, 1586, 1587, 1666, 1680 वाकै ग्राम नौगावां तहसील कामां 1/2 की खातेदारी पहले से ही मौजूद है। लायक अदालत तहत ने तहसीलदार कामां को मामला क्षेत्राधिकार से बाहर रिमाण्ड किया है, जबकि डिकी एक वैधानिक दस्तावेज है और दाखिला खारिज की कार्यवाही में कोई भी पक्षकार के अधिकार तय नहीं होते है। नामांतकरण संबंधी कार्यावाही केवल फिसकल प्रोसिडिंग है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार भी भाई की मृत्यु होने पर भाई को ही अधिकार जाता है। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को अमीर खां के 38 साल पूर्व मुत्यु से कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, परन्तु इन तथ्यों पर अदालत मातहत द्वारा गौर नहीं किया गया। अतः अपीलाधीन निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण निरस्तनीय है। रैस्पोडेन्ट की ओर से अपीलान्ट के पक्ष में हुई डिकी को कभी–भी चैलेन्ज नहीं किया गया है। अतः डिकी के बाद नामांतकरण के आधार पर हक–हकूक तय करवाया जाना उचित नहीं है। इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.05.2017 निरस्त किया जावे व रैस्पोडेन्ट के हक में खोले गए नामांतकरण संख्या 1079 दिनांक 14.05.1986 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.05.2017 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित होने तथा उभयपक्षकारान को सुनवाई का उचित व पर्याप्त अवसर देने के बाद पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैद्यानिकता नहीं है। जहां तक रैस्पो0 की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत की गई अपील के मियाद बाहर पेश किए जाने के कारण मियाद संबंधी बिन्दु पर ही खारिज किए जाने का प्रश्न है तो अदालत मातहत ने मियाद संबंधी बिन्दु के बारे में अपीलाधीन निर्णय में विस्तृत रूप से चर्चा करने के बाद रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील अन्दर मियाद शुमार करते हुए प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल की ओर से कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं कि मियाद संबंधी बिन्दु पर अदालत मातहत द्वारा लिए गए निर्णय में अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना किसी समुचित आधार के हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं हैं, क्योंकि मियाद के बारे में निर्णय लेने का संबंधित न्यायालय का

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

विवेकाधिकार है। जिसका उपयोग करते हुए न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया है। अतः अपीलान्ट की मियाद के संबंध में अदालत हाजा के समक्ष उजदारी कोई मायने नहीं रखती क्योंकि न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1995 पेज 578 व आर.आर. डी 1989 पेज 500 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अवैधानिक आदेश की कोई मियाद नहीं होती। जिसका उल्लेख अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.05.2017 में किया गया है। इसके अलावा तहसीलदार कामां की ओर से नामांतकरण संख्या 1079 दिनांक 14.05.1986 को पारित करने से पूर्व रैस्पोडेन्ट को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया है और ना ही कोई नोटिस जारी किया गया तथा पत्रावली पर ऐसा कोई तथ्य भी उपलब्ध नहीं है। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि रैस्पोडेन्ट को अपीलाधीन नामांतकरण की पूर्व में जानकारी रही हो। इसलिए अदालत हाजा की ओर से अपीलीय स्तर पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया जाना उचित नहीं है। वकील रैस्पोडेन्ट ने अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर बहस करते हुए तर्क दिया कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 1079 मोरमल व उनके भाई अमीर खां के फौत होने के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा रैस्पो0 संख्या 1 समीर खां के नाम से ही दिनांक 8.5.1986 को भरा गया। उक्त नामा0 को दिनांक 12.5.1986 को ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्तुत किया। जिसमें सरपंच ने दर्ज किया कि प्रार्थी हाजिर नहीं है, आगामी बैठक में पेश हो। इसके बाद उक्त नामा0 को ग्राम पंचायत की आगामी बैठक में प्रस्तुत नहीं कर तहसीलदार कामां के समक्ष नियम विरूद्ध प्रस्तुत किया। जिसे तहसीलदार द्वारा नियम विरूद्ध स्वीकृत किया गया। उक्त नामा0 को तस्दीक करने में तहसीलदार द्वारा जल्दबाजी की गई है। क्योंकि पंचायत ने पक्षकार मौजूद नहीं होने के कारण आगामी बैठक में पेश होने बाबत लिखा था। नामा0 पर निर्णय करने का ग्राम पंचायत को 45 दिन का अधिकार रहता है। इसलिए अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही तहसीलदार द्वारा नामांतकरण पक्षकारों को सुने बिना तस्दीक किया गया है। जिसे अदालत मातहत द्वारा उभयपक्षकारान को सुनने के बाद निरस्त किया गया है। वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में यह तर्क दिया गया कि रैस्पोडेन्ट संख्या 4 के द्वारा दूसरी शादी कर लिए जाने के कारण उसके अधिकार समाप्त हो गए हैं, परन्तु इसके संबंध में अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में प्रस्तुत मीमो आफ अपील में कोई उल्लेख नहीं किया गया। दूसरी ओर जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 में अन्य नम्बरान में मृतक मोरमल की विधवा सहजवी रैस्पो0 4 के नाम हिस्सा 1/6 पर खातेदारी में दर्ज है। इससे यह स्पष्ट है कि मृतक मोरमल की विधवा सहजवी ही थी जो कि नामा0 संख्या 1079 में मोरमल के वारिस के रूप में विवादित भूमि में हक प्राप्त करने की पूर्ण अधिकारिता रखती है। परन्तु उक्त नामांतकरण में रैस्पोडेन्ट संख्या 4 का नाम दर्ज नहीं किया गया। इसी प्रकार मृतक मोरमल की रैस्पो0 1 व 2 पुत्रीयां हैं तो उनका मृतक मोरमल व अमीर खां की आराजी में हक भी बनता है इसलिऐ तहत अदालत ने बाद परीक्षण अपील स्वीकार कर तहसीलदार कामां को जांच हेतु रिमाण्ड किया है जो कि न्यायोचित है। तहत अदालत ने बाद परीक्षण गुणावगुण के आधार पर अपीलाधीन आदेश के अंतर्गत विधिविरूद्ध नामा0 1079 दिनांक 14.5.1986 वाकै ग्राम नौगांवा तहसीलदार तहसील

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

कामां जिला भरतपुर निरस्त किया गया है तथा प्रकरण तहसीलदार कामां को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है कि मृतक मोरमल, अमीर खां पिसरान छज्जू जाति मेव निवासी ग्राम नौगांवा तहसील कामां के वारिसान की जांच कर विधिक प्रावधानों के अनुरूप पुनः नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के निर्देश दिये है जो कि उचित है। अतः अपील अपीलान्ट बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज की जावे व अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.05.2017 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में रैस्पोडेन्ट की ओर से तहसीलदार कामां के द्वारा स्वीकृत किए गए नामां0 संख्या 1079 दिनांक 14.05.1986 के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग के न्यायालय में अपील पेश किए जाने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग द्वारा उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.05.2017 को पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैद्यानिकता या अनियमितता नजर नहीं आती है, क्योंकि विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अपीलाधीन निर्णय में अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस का उल्लेख करते हुए यह माना है कि तहसीलदार कामां द्वारा नामांतकरण संख्या 1079 दिनांक 14.05.1986 को स्वीकृत करने में जल्दबाजी की है। क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 12.05.1986 की बैठक में उक्त नामांतकरण को प्रार्थी के हाजिर नहीं होने के कारण आगामी बैठक में पेश करने के निर्देश दिए थे, परन्तु उक्त नामांतकरण ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दिनांक 14.05.1986 को तहसीलदार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है जबकि ग्राम पंचायत की 45 दिन की मियाद रहती है। इसी प्रकार रैस्पोडेन्ट जो कि उक्त प्रकरण में अपीलान्ट है कि ओर से प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 में मृतक मोरमल की विधवा सहजवी जो कि रैस्पोडेन्ट नंबर 4 है, के नाम 1/6 हिस्से की खातेदारी है। इस आधार पर सहजवी को मृतक मोरमल की विधवा माना गया है। अपीलान्ट संख्या संख्या 1 व 2 जो कि अदालत हाजा में रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 है, के मृतक मोरमल की पुत्रियां होने व मृतक मोरमल व अमीर खां की आराजी में कानूनन हक होने बाबत जांच किए जाने का उल्लेख किया है। जिसमें कोई अनियमितता नजर नहीं आती है। अपीलाधीन निर्णय में रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील के मियाद संबंधी बिन्दु के बारे में भी विचार करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 1079 दिनांक 14.05.1986 को निरस्त किया है तथा प्रकरण तहसीलदार कामां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि मृतक मोरमल, अमीर खां पिसरान छज्जू जाति मेव निवासी नौगांव तहसील कामां के वारिसान की जांच कर विधिक प्रावधान के अनुरूप पुनः नामांतकरण दर्ज किया जावे, जो कि उचित है। जहां तक वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में दिया गया यह तर्क कि अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट दोनों जाति से मेव हैं व मेवों पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। वरन् मुस्लिम एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं तो इस संबंध में अपीलान्ट तहसीलदार कामां के समक्ष

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र है, क्योंकि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.05.2017 में अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग ने तहसीलदार कामां को यह निर्देश दिए हैं कि मृतक मोरमल, अमीर खां पिसरान छज्जू जाति मेव निवासी ग्राम नौगावां तहसील कामां के वारिसान की जांच कर विधिक प्रावधानों के अनुरूप पुनः नामांतकरण दर्ज किए जाने की कार्यवाही करें। अतः इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.05.2017 में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नजर नहीं आती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.05.2017 यथावत रखा जाता है व उभयपक्षकारान को निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.05.2017 में दिए गए निर्देशों के मुताबिक तहसीलदार कामां के समक्ष में अपना पक्ष रखें तथा तहसीलदार कामां उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने व मृतक के विधिक वारिसान के संबंध में पूर्ण जांच के पश्चात विधिक प्रावधानों के अनुरूप निए सिरे से नामांतकरण खोले जाने की कार्यवाही करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 25.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर